<u>उत्तर मध्य रेलवे</u>

महाप्रबंधक कार्यालय
राजभाषा विभाग, प्रयागराज

संख्या : उ.म.रे/.रा.भा/.39/रे.बो.व्य.न.पुरस्कार योजना

दिनांक : 18.02.2025

अपर महाप्रबंधक, प्रधान मुख्य इंजीनियर, प्रधान वित्त सलाहकार,
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक,
प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर,
प्रधान मुख्य सिग.एवं दूरसंचार इंजीनियर, प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक, प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी,
प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण),
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, सचिव/महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक/सामान्य, मुख्य प्रबंधक/सूचना प्रौद्योगिकी,
उत्तर मध्य रेलवे, प्रधान कार्यालय, प्रयागराज
मंडल रेल प्रबंधक - प्रयागराज, झाँसी, आगरा
मुख्य कारखाना प्रबंधक - झाँसी, सिथौली, सीएमएलआर झाँसी, रेल कोच नवीनीकरण कारखाना झाँसी

विषय : सरकारी काम-काज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए रेलवे बोर्ड की राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना-(आधार वर्ष 2024).
संदर्भ : रेलवे बोर्ड का पत्र सं. हिंदी-2025/प्र.-7/3 दिनांक 12.02.2025.

रेलवे बोर्ड द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र द्वारा राजभाषा हिंदी में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड की राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत करने के लिए उनके नाम माँगे गए हैं। इस योजना के अंतर्गत रेलवे बोर्ड द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को तीन-तीन हजार रुपए के नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं।

कृपया वर्ष 2024 (01.01.2024 से 31.12.2024 तक) के दौरान अपने मंडल, कारखाना, विभाग अथवा कार्यालय में कार्यरत राजभाषा हिंदी का उत्कृष्ट प्रयोग-प्रसार करने वाले केवल एक अधिकारी अथवा कर्मचारी का नाम संलग्न प्रोफार्मा में **30.04.2025 तक** इस कार्यालय को भिजवा दें। उल्लेखनीय है कि **<u>निर्धारित तिथि अर्थात 30.04.2025 के पश्चात प्राप्त नाम पर विचार करना संभव नहीं होगा।</u>**

उक्त पुरस्कार हेतु अधिकारी/कर्मचारी के नाम की अनुशंसा करते समय निम्नलिखित शर्तों का पालन अवश्य किया जाए -

1. पुरस्कार की पात्रता के लिए हिंदीतर भाषी अधिकारी/कर्मचारी के लिए कम से कम 50% और हिंदी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कम से कम 75% कार्य हिंदी में किए जाने की अनिवार्यता होगी।
2. इस योजना के अंतर्गत लिपिक वर्गीय कर्मचारी से लेकर सेलेक्शन ग्रेड के अधिकारी तक की अनुशंसा की जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत अधिकारी/कर्मचारी के नाम की अनुशंसा करते समय यह अवश्य उल्लेख किया जाए कि अनुशंसित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक अथवा सतर्कता मामला लंबित नहीं है।
3. पिछले 3 वर्षों के दौरान इस योजना में पुरस्कार प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी के नाम की अनुशंसा न की जाए।
4. इस पुरस्कार योजना हेतु अनुशंसित किए जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के कार्य का विधिवत सत्यापन करके यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सरकारी कामकाज में हिंदी का लगातार अधिकाधिक एवं प्रशंसनीय प्रयोग किया जा रहा है, तत्पश्चात ही कार्यालय प्रमुख का अनुमोदन प्राप्त कर नाम भेजे जाएं।
5. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि पुरस्कार के लिए चयनित रेलकर्मियों को पुरस्कार की राशि RTGS/NEFT के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके लिए अनुशंसित रेल कर्मियों के बैंक खाते से संबंधित जानकारी संलग्न प्रोफार्मा एवं निरस्त चैक (Cancelled Cheque) के माध्यम से भिजवाई जानी अपेक्षित है। कृपया पुरस्कार हेतु निर्धारित प्रोफार्मा में नाम, पदनाम और कार्यालय संक्षिप्त रूप में न होकर पूर्ण रूप में उल्लिखित किए जाएं।

संलग्न : यथोक्त

18/02/25

(चन्द्र भूषण पाण्डेय)
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी
कृते महाप्रबंधक) राजभाषा)

सरकारी काम-काज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना हेतु प्रोफार्मा

क्र.सं.	नाम हिंदी में	नाम अंग्रेजी में	पदनाम	कार्यालय	जन्मतिथि	भविष्य निधि/ एनपीएस सं.	कार्य का विवरण	कार्य का प्रतिशत

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

RTGS/NEFT कराने के प्रयोजन से अपेक्षित जानकारी का प्रोफार्मा

क्र.सं.	अपेक्षित जानकारी	विवरण
1.	नाम/NAME (हिंदी में) (जैसा कि बैंक खाता में दर्ज है)	
	नाम/NAME (अंग्रेजी में) (as shown in Bank A/C)	
2.	पदनाम/DESIGNATION	
3.	कार्यालय का नाम/OFFICE NAME	
4.	बैंक का नाम/BANK NAME	
5.	बैंक शाखा का नाम/BRANCH NAME	
6.	खाता संख्या/ACCOUNT NO. (कृपया cancelled cheque की फोटोप्रति भी संलग्न करें)	
7.	आई.एफ.एस. कोड/IFS CODE	
8.	मोबाइल नंबर/MOBILE NO.	

अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर